निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष 1944 (श0)

(सं0 पटना 1103) पटना, सोमवार, 26 दिसम्बर 2022

वित्त विभाग

अधिसूचना

26 दिसम्बर 2022

सं० जी0पी0एफ0-01-315/2022-1327/वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ-

(1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 11 के उपनियम(1) के खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को स्थापित किया जाएगा :-

''परन्तु किसी वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक अंशदान की राशि अथवा अंशदान की बकाया राशि का कुल योग आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9(घ) के उपनियम (2) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड ग(1) में दी गयी सीमा से अधिक नहीं होगा ।''

टिप्पणी- 1. आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9(घ) के उपनियम (2) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड ग(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में रू0 5(पाँच) लाख की सीमा निर्धारित की गयी है ।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपर्युक्त सीमा के अनुपालन हेतु वैसे मामलों में जहाँ मासिक अंशदान की राशि उपर्युक्त सीमा को पार कर गयी है अथवा उसके समीप है; मूल वेतन के न्यूनतम छः प्रतिशत अंशदान संबंधी प्रावधान को क्षांत करते हुए मासिक अंशदान को रोका अथवा कम किया जा सकेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव(संसाधन) ।

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 26th December 2022

No-GPF-01-315/2022-1327/F.–In exercise of the powers conferred under the Proviso of Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar General provident fund Rules, 1948 :-

1. ***Short title, extent and commencement.—***
   (i) These Rules may be called the Bihar General provident fund (Amendment) Rules, 2022.
   (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (iii) It shall come into force from the date of its Publication in Official Gazette.

2. ***The following proviso shall be inserted after clause (b) of sub Rule(1) of rule 11of Bihar General provident fund Rules, 1948*** :-

"Provided that the sum of the monthly subscriptions during a financial year together with the amount of arrears shall not exceed the threshold limit referred to in Sub-clause (i) of clause (c) of the explanation below sub-rule (ii) of rule 9(D) of the income tax Rules, 1962"

Note 1. As per Sub-clause (i) of clause (c) of the explanation below sub-rule (ii) of rule 9(D) of the income tax Rules, 1962 w.e.f. financial year 2022-23 threshold limit of Rs. 5(five) Lakh has been imposed on GPF subscriptions during a financial year.

2. For the financial year 2022-23 relaxing the provision of minimum monthly subscription of six percent of the emoluments; in such cases where GPF subscription has already exceeded the threshold limit or likely to reach that limit, monthly subscription shall be stopped or reduced for compliance of the above threshold limit.

By Order of the Governor of Bihar,
LOKESH KUMAR SINGH,
Secretary(Resource).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **1103-571+500**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in